राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–870/2025

रामहेत सिंह मीणा

–अपीलार्थी

बनाम

1. उपायुक्त सह उप शासन सचिव (II) ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, सचिवालय, जयपुर, राजस्थान।
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, बूंदी।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 20.01.2025
आदेश की दिनांक : 11.02.2025
उपस्थिति :–
अपीलार्थी की ओर से : श्री प्रकाश शर्मा, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : सुश्री राधिका महरवाल, अति.राजकीय अभिभाषक

समक्ष :– विकास सीतारामजी भाले, अध्यक्ष
अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी वर्तमान में सहायक विकास अधिकारी के पद पर पंचायत समिति, हिण्डोली, बूंदी में कार्यरत है। आलोच्य आदेश दिनांक 09.01.2025 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का पदस्थापन/स्थानांतरण पंचायत समिति, सांगोद, कोटा में किया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का मुख्य रूप से तर्क है कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण एक जिले से दूसरे जिले में किया गया है, जो उचित नहीं है। अपीलार्थी के स्थानान्तरण किये जाने से पूर्व सम्बन्धित प्रधान की सहमति प्राप्त नहीं की गयी है। ऐसे में अपीलार्थी का स्थानान्तरण नियम विरूद्ध तरीके से किया गया है।
3. हमनें अपीलार्थी द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया।
4. हम पाते हैं कि अपीलार्थी सहायक विकास अधिकारी के पद पर कार्यरत है, जिसको एक पंचायत समिति से दूसरी पंचायत समिति में स्थानान्तरित किया गया है, जो एक जिले से दूसरे जिले में किया गया है। स्थानान्तरण राज्य

सरकार द्वारा किया गया है, जो सक्षम स्तर से अनुमोदन किये जाने के पश्चात जारी किया गया है। अपीलार्थी चूंकि पंचायत समिति में सहायक विकास अधिकारी के पद पर कार्यरत है। ऐसे में ग्राम पंचायत के प्रधान से सहमति प्राप्त करने का प्रश्न नहीं उठता है। यह नियोक्ता के विवेक पर निर्भर करता है कि वह प्रशासनिक आवश्यकता में अपने किस कार्मिक की सेवाएं किस स्थान पर लेना उचित समझता है। ऐसे प्रशासनिक आदेश में इस अधिकरण द्वारा हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

5. उपरोक्त विवेचना के आधार पर हम इस अपील में कोई बल होना नहीं पाते हैं। अतः अपील, मय स्थागन प्रर्थाना–पत्र पर खारिज की जाती है।

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)

(विकास सीतारामजी भाले)
(अध्यक्ष)